प्राकट्य उत्सव समारोह मनाया

रामगंजमंडी, (निसं)। अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा की ओर से शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर महर्षि वाल्मीकि प्राकट्य उत्सव मंगलवार को नगरपालिका सभा भवन में समारोहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान वाल्मीकि एवं मां सरस्वती के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर दीप प्रज्वलन से हुआ। भक्ति एवं सांस्कृतिक माहौल में प्रारंभ हुए इस आयोजन में नगर के गणमान्य नागरिक, समाज जन और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। आयोजन में मुख्य वक्ता अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामगोपाल राजा रहे। जबकि मुख्य अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष अखिलेश मेड़तवाल थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगरपालिका अधिशाषी अधिकारी तरुण लहरी ने की।

पोस्टर का विमोचन किया

कोटा, (निसं)। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत कोटा महानगर की सचिव एडवोकेट सोनल विजयवर्गीय ने बताया कि मंगलवार को ऑपरेशन मेहंदी भी पोस्टर का विमोचन पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम एवं गीता चौधरी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोटा द्वारा किया गया, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत कोटा महानगर अध्यक्ष खुशाल गुप्ता ने बताया कि पूरे कोटा शहर में आगामी दिनांक 08 और 09 अक्टूबर 2025 को करवा चौथ के उपलक्ष पर कोटा शहर के 10 सेंटर लगभग प्रमुख मंदिरों पर 130 मेंहदी कलाकार 'अपनों का हाथ अपनो के साथ' मातृशक्ति को न्यूनतम शुक्ल से मेंहदी लगाकर सकारात्मक संदेश देगी और उक्त मेंहदी लगाकर मेंहदी कलाकार को स्वरोजगार अवसर उपलब्ध होगा, चितौड़ प्रांत सचिव एडवोकेट प्रमोद राठौर, संयोजक एडवोकेट सुमित्रा कुमावत महिला आयाम प्रमुख भावना जैन और श्वेता विजय सहसचिव पुष्पलता मालवीय, अविनाश मीणा उपस्थित थे।

राष्ट्रीय दशहरा मेला में बाल संरक्षण केंद्र का शुभारंभ

कोटा, (निसं)। राष्ट्रीय दशहरा मेला में बाल श्रम की रोकथाम एवं गुमशुद्धा बालकों के लिये बाल अधिकारिता विभाग द्वारा बाल संरक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया।

बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक रामराज मीना ने बताया कि राष्ट्रीय दशहरा मेला में बाल अधिकारिता विभाग द्वारा बाल संरक्षण केंद्र का शुभारंभ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की संयुक्त निदेशक सविता कृष्णैया एवं अध्यक्ष बाल कल्याण समिति राजेंद्र राठौड़ द्वारा किया गया। वहीं संरक्षण अधिकारी दिनेश शर्मा ने बताया कि दशहरे मेले में गुमशुदा बच्चो के लिये बाल सहायता केंद्र की स्थापना की गई है, तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है तथा राष्ट्रीय दशहरा मेले में बाल श्रम, भिक्षावृत्ती रोकथाम हेतु विशेष अभियान चलाया जाएगा तथा नाबालिक बालक-बालिकाओं को मुक्त कराया जाएगा।

बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बाल संरक्षण केंद्र को बच्चों की सहायता के लिए विशेष बताया तथा कहा कि पूरे मेले के दौरान बाल श्रम बच्चों को चिन्हित किए जाएंगे, संयुक्त निदेशक सविता कृष्णैया ने नशा मुक्त भारत अभियान की जानकारी सभी को दी। स्काउट उप-प्रधान यज्ञदत्त हाड़ा द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की जानकारी दी गई एवं सृष्टि सेवा समिति के जिला समन्वय भूपेंद्र सिंह ने बाल विवाह मुक्त भारत के पोस्टर का विमोचन अतिथियों द्वारा कराया गया। मेले में बाल श्रम रोकथाम हेतु पुलिस व चाईल्ड हेल्पलाईन द्वारा समझाईश अभियान भी चलाया जाएगा इस अवसर पर बाल कल्याण समिति के सदस्य ऋषभ कुमार जैन, बाबूलाल, सहायक निदेशक रामराज मीना, अनुजा निगम के परियोजना प्रबंधक गौरी शंकर मीणा, उपनिदेशक रोजगार मनोज कुमार पाठक सहित स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारीगण मौजूद थे।

बाल संरक्षण केन्द्र के शुभारंभ में बाल विवाह मुक्त भारत के पोस्टर का विमोचन किया।

पुलिस उपाधीक्षक ने साइबर सुरक्षा की जानकारी दी

रामगंजमण्डी, (निसं)। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय (छात्र) में मंगलवार को पुलिस उपाधीक्षक घनश्याम मीणा द्वारा साइबर सुरक्षा जागरूकता के लिए बालकों को साइबर क्राइम के प्रकार व बचाव के तरीके के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

जागरूकता अभियान के तहत साइबर अपराध से सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल की है। विद्यालय में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में पुलिस उपाधीक्षक मीणा ने छात्रों को साइबर सुरक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने छात्रों को बताया कि डिजिटल युग में साइबर अपराधियों से सतर्क रहना बेहद जरूरी है।

विशेष रूप से अनजान नंबरों से आने वाली वीडियो कॉल्स को रिसीव न करने और वन टाइम पासवर्ड किसी से साझा न करने की सलाह दी गई।

मीणा ने बताया कि आज की दुनिया पूरी तरह से इंटरनेट पर निर्भर है, ऐसे में टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना और सतर्क रहना अति आवश्यक है।

शिविर आयोजित

कोटा, (निसं)। लायंस क्लब की ओर से चल रहे सेवा सप्ताह के तहत 'अपना घर' (पॉलीटेक्निक कॉलेज कैंपस रोड, छत्रपुरा धानमंडी) में नि:शुल्क आंख एवं दंत जांच शिविर आयोजित किया गया। अध्यक्ष सोनल नंदवाना ने बताया कि शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने 250 से अधिक निवासियों के नेत्र और दंत परीक्षण किए। डॉ.आशीष शर्मा ने प्रभुजनों की आंखों और दांतों की जांच कर आवश्यक परामर्श दिया।

मंत्री नागर की नाराजगी के बाद उखड़वाई घटिया सड़क, ठेकेदार पर कार्रवाई की तैयारी

कोटा, (निसं)। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर की नाराजगी के बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग को डूंगरज्या गांव में घटिया गुणवत्ता की सड़क उधेड़नी पड़ी है। विभाग ने सड़क जेसीबी से उधेड़वाई है। अब यह सड़क फिर बनाई जाएगी। नागर के विधानसभा क्षेत्र में दीगोद के पास स्थित डूंगरज्या के ग्रामीणों ने घटिया निर्माण की शिकायत मंत्री से की थी। इसके बाद मंत्री खुद मौके पर पहुंचे और सीमेंटेड सड़क को पैर से कुरेदा तो वह उखड़ गई थी।

मंत्री ने इस पर नाराजगी जताई थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग, सुल्तानपुर के अधिशासी अंकित बिंदल ने कहा कि ठेकेदार को पहले भी घटिया निर्माण के चलते नोटिस दिया था। इस निर्माण के संबंध में पहले लिया नमूना फेल हो गया था। यह सड़क कंवरपुरा से डूंगरज्या डेढ़ किमी लंबी है। इसमें पूरी सड़क डामर की बननी है लेकिन 220 मीटर का हिस्सा सीसी है। इसमें ही गड़बड़झाला हुआ है। इसी को उधेड़वाया। इसे दोबारा बनवाएंगे। ठेकेदार पर कार्रवाई भी की जाएगी। अधिशासी अभियंता अंकित बिंदल ने कहा कि यह पूरी सड़क 90 लाख रुपए में बनी थी लेकिन जिस हिस्से में घटिया निर्माण हुआ वह 220 मीटर का है जो करीब 10 लाख रुपए का था। ऐसे में इतने टुकड़े का फिर निर्माण कराया जाएगा। इसके नमूने दोबारा टेस्टिंग को भेजेंगे। घटिया निर्माण करने पर ठेकेदार पर कार्रवाई के लिए भी उच्चाधिकारियों को लिखा है। मंत्री नागर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टोलरेंस की नीति है। विकास कार्यों में भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की पूरी मॉनिटरिंग होगी। इस सडक को रिटेंडर कर फिर से बनाया जाएगा।

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर की नाराजगी के बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग को डूंगरज्या गांव में घटिया गुणवत्ता की सड़क उधेड़नी पड़ी।

वन्यजीव संरक्षण का महत्व सीखा

कोटा, (निसं)। वन्यजीव सप्ताह के उपलक्ष में अकलंक कॉलेज ऑफ़ एजुकेशन, कोटा की एन.एस.एस. इकाई द्वारा बी.एस.सी.-बी.एड. के विद्यार्थियों के लिए रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, बूंदी का शैक्षणिक भ्रमण आयोजित किया गया। इस भ्रमण का उद्देश्य विद्यार्थियों को वन्यजीव संरक्षण, पारिस्थितिक संतुलन एवं पर्यावरण संरक्षण के महत्व से अवगत कराना था। यह भ्रमण कॉलेज प्रबंधन, प्राचार्या डॉ. पिंकी श्रीवास्तव एवं उप-प्राचार्या नम्रता जैन के मार्गदर्शन में, एन.एस.एस. प्रभारी डॉ.रंजना गुप्ता तथा संकाय सदस्य डॉ. सोनल और अंतिमा गौतम के विशेष सहयोग से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने रामगढ़ विषधारी के प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध जैव विविधता एवं विभिन्न वन्यजीवों का निकट से अवलोकन किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष पीयूष बज एवं सचिव अनिमेष जैन ने बताया कि फील्ड बायोलॉजिस्ट (आर.वी.टी.आर., बूंदी) नयन उपाध्याय ने विद्यार्थियों को टाईगर रिजर्व के पारिस्थितिक महत्व, पक्षियों एवं तितलियों की विविधता के साथ-साथ उनकी पहचान संबंधी जानकारी दी।

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 1922 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 06.10.25

आवास संख्या 6-ए-5 विज्ञान नगर, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री बृजमोहन धूपड पुत्र श्री जगदीश लाल को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्रीमती मंजू जैन पत्नी श्री पारसमल जैन के नाम दिनांक 31.10.1994 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्रीमती मंजू जैन पत्नी श्री पारसमल जैन के नाम दिनांक 23.12.1994 को अपने पक्ष में करवाया गया। पंजीयन उपरांत श्रीमती मंजू जैन पत्नी श्री पारसमल जैन द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 22.05.1996 को श्री ए.टी. जौय पुत्र स्व. श्री ए.पी. थोमस को किया गया। श्री ए.टी जौय पुत्र श्री ए.पी. थोमस द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 18.01.2006 को श्री सईद अहमद कुरेशी पुत्र श्री अब्दुल रशीद कुरैशी को किया गया। श्री सईद अहमद कुरेशी पुत्र श्री अब्दुल रशीद कुरैशी का नाम दिनांक 23.09.2009 को विक्रय पत्र के आधार पर उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में दर्ज किया गया। तत्पश्चात् श्री सईद अहमद कुरेशी पुत्र श्री अब्दुल रशीद कुरैशी द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 11.03.2016 को श्रीमती शमीम अख्तर पत्नी डॉ. मुश्ताक अहमद को किया गया। श्रीमती शमीम अख्तर पत्नी डॉ. मुश्ताक अहमद द्वारा इस कार्यालय मे प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 6-ए-5 विज्ञान नगर, कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मण्डल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अत: इस आवास के मण्डल अभिलेख में श्रीमती शमीम अख्तर पत्नी डॉ. मुश्ताक अहमद का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि इस आवास के मण्डल अभिलेख में श्रीमती शमीम अख्तर पत्नी डॉ. मुश्ताक अहमद का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में श्रीमती शमीम अख्तर पत्नी डॉ. मुश्ताक अहमद का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रू./2025/1086 **विज्ञप्ति** दिनांक:-19.09.2025

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम कुन्हाड़ी में स्थित कृषि भूमि योजना आदर्श नगर खसरा नं. 252 में स्थित भूखंड संख्या 6 आवेदक/आवेदिका श्रीमती संगीता पत्नी श्री महावीर प्रसाद निवासी म.नं. 68 योगी जी का मकान, वार्ड नं. 29 लाडपुरा कोटा राज. द्वारा ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखंड का पट्टा क्रमांक 9056 दिनांक 18.03.2011 को श्री मदनलाल पुत्र श्री भंवर लाल के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी द्वारा उक्त भूखंड का बैचान जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 01.10.2012 को जर्ये मुख्तारआम श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री रुपचन्द जैन द्वारा आवेदिका के पक्ष में किया गया है।

अत: श्रीमती संगीता पत्नी श्री महावीर प्रसाद के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ11/विक्रय/2025/534 दिनांक:-07.10.25

नाम हस्तान्तरण स्वीकृति चाहने बाबत आम सूचना

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा आवास/भूखंड संख्या-217 विश्वकर्मा ओटो मोबाईल नगर स्पेशल योजना का आवंटन न्यास के पत्र क्रमांक-497 दिनांक 13.12.2001 द्वारा मैसर्स मोहन मोटर वर्क्स प्रो. श्री मोहन सिंह पुत्र श्री अमर सिंह को आवंटित किया गया था। श्री मोहन सिंह की मृत्यु दिनांक 21.10.2019 को हो चुकी है। मृत्यु के पूर्व श्री मोहन सिंह जी के द्वारा जर्ये रजिस्ट्रर्ड वसीयत नामा श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग पुत्र श्री बृज मोहन गर्ग के पक्ष में वसीयत नामा दिया गया है। वसीयत ग्रहिता श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग पुत्र श्री बृज मोहन गर्ग के नाम हस्तांतरण चाहा गया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवास/भूखंड संख्या-217 विश्वकर्मा ओटो मोबाईल नगर स्पेशल योजना का नाम हस्तांतरण श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग पुत्र श्री बृज मोहन गर्ग नाम से जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण कोटा

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

क्रमांक: LU2012/KOT/2025-26/101072 **लोक सूचना** दि. 7.10.2025

श्री RAKESH MISHRA पुत्र श्री RAM JAG MISHRA जाति BRAHAMAN निवासी GALI NUMBER 7 NAHAR KE PASS PONAM COLONY KOTA श्री CHANDRA SHEKHAR JAISWAL पुत्र श्री BASANTI LAL JAISWAL जाति KALAL निवासी COLONY BAJRANG NAGAR POLICE LINE KOTA. ने इस कार्यालय मे नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है,अर्थात्:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	भदाना, लाडपुरा (कोटा)	(1) CHANDRA SHEKHAR JAISWAL S/O BASANTI LAL JAISWAL HISSA 1/2 BAJARANG NAGAR KOTA (2) RAKESH KUMAR MISHRA S/O RAM JAG MISHRA HISSA 1/2 NAHAR KE PASS PONAM COLONY KOTA	725	16200	1.62
				कुल	1.62

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम,1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारी के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 07/10/2025 को जारी की गयी। **प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)**

कार्यालय नगर निगम, कोटा उत्तर (राज.)

क्रमांक:-ननिकोउ/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2025/14197 दिनांक: 7.10.25

नाम हस्तान्तरण बाबत् सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि श्रीमती स्वीटी जैन पत्नी श्री विनीत जैन निवासी जैन निवास, जैन धर्मशाला के पास, भीमगंजमण्डी, कोटा जंक्शन, कोटा (राज.) ने नगर निगम, कोटा उत्तर में आवेदन प्रस्तुत कर बाल मंदिर रोड, भीमगंजमण्डी, कोटा स्थित भूखण्ड क्षेत्रफल 702 वर्ग फुट का स्वामित्व स्वयं के नाम हस्तांतरण किये जाने का निवेदन किया है। बजयरा कोटा जंक्श. कोटा स्थित भूखण्ड क्षेत्रफल 100x (200+199/2) एवं भूखण्ड क्षेत्रफल 150x (207+200/2) का आवंटन म्यूनिसिपल बोर्ड भीमगंज, कोटा द्वारा म्यूनिसिपल बोर्ड भीमगंज, कोटा द्वारा श्री नेमीचन्द की मृत्यु उपरान्त श्री नेमीचन्द के विधिक वारिसान श्रीमती भंवरी बाई पत्नी स्व. श्री नेमीचन्द, श्री मानक चन्द पुत्र स्व. श्री नेमीचन्द, श्री पदम कुमार पुत्र स्व. श्री नेमीचन्द, श्री प्रकाश चन्द पुत्र स्व. श्री नेमीचन्द, श्रीमती निर्मला गोया पत्नी स्व. श्री मानकचन्द, श्री पवन कुमार पुत्र स्व. श्री मानकचन्द, श्री अतुल कुमार पुत्र स्व. श्री मानकचन्द, श्री अजय कुमार पुत्र स्व. श्री मानकचन्द, श्री अरूण कुमार पुत्र स्व. श्री मानकचन्द अल्पव्यस्क द्वारा संरक्षिका श्रीमती निर्मला गोया माता स्वयं एवं श्री अनुज कुमार पुत्र स्व. श्री मानकचन्द अल्पव्यस्क द्वारा संरक्षिका श्रीमती निर्मला गोया माता स्वयं के मध्य निष्पादित रजिस्टर्ड विभाजन प्रलेख दिनांक 17.04.1976 द्वारा श्री प्रकाश चन्द पुत्र स्व. श्री नेमीचन्द को उक्त भूखण्डों में से 14818 वर्ग फुट भाग प्राप्त हुआ। श्री प्रकाश चन्द गोधा ने वसीयत में प्राप्त उक्त भाग में से 702 वर्ग फुट भाग जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.11.2024 से श्रीमती स्वीटी जैन पत्नी श्री विनीत जैन को विक्रय कर दिया। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम, कोटा उत्तर में उक्त मूल भूखण्डों में से आवेदित भाग क्षेत्रफल 702 वर्ग फुट के स्वामित्व नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त आवेदित भाग का नाम हस्तांतरण किये जाने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी जो उक्त भूखण्ड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त, नगर निगम, कोटा उत्तर कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी। **उपायुक्त नगर निगम कोटा उत्तर**

कार्यालय नगर निगम, कोटा उत्तर (राज.)

क्रमांक:-ननिकोउ/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2025/14196 दिनांक: 7.10.25

नाम हस्तान्तरण बाबत् सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि श्रीमती स्वीटी जैन पत्नी श्री विनीत जैन निवासी जैन निवास, जैन धर्मशाला के पास, भीमगंजमण्डी, कोटा जंक्शन, कोटा (राज.) के नगर निगम, कोटा उत्तर में आवेदन प्रस्तुत कर बाल मंदिर रोड, भीमगंजमण्डी, कोटा स्थित भूखण्ड क्षेत्रफल 2850 वर्ग फुट का स्वामित्व स्वयं के नाम हस्तांतरण किये जाने का निवेदन किया है। बजयरा कोटा जंक्श. कोटा स्थित क्षे.फल 100x (200+199/2) एवं भूखण्ड क्षेत्रफल 150x (207+200/2) का आवंटन म्यूनिसिपल बोर्ड भीमगंज, कोटा द्वारा म्यूनिसिपल बोर्ड भीमगंज, कोटा द्वारा श्री नेमीचन्द पुत्र श्री सुवालाल को किया गया। श्री नेमीचन्द की मृत्यु उपरान्त श्री नेमीचन्द के विधिक वारिसान श्रीमती भंवरी बाई पत्नी स्व. श्री नेमीचन्द, श्री मानक चन्द पुत्र स्व. श्री नेमीचन्द, श्री पदम कुमार पुत्र स्व. श्री नेमीचन्द, श्री प्रकाश चन्द पुत्र स्व. श्री नेमीचन्द, श्रीमती निर्मला गोया पत्नी स्व. श्री मानकचन्द, श्री पवन कुमार पुत्र स्व. श्री मानकचन्द, श्री अतुल कुमार पुत्र स्व. श्री मानकचन्द, श्री अजय कुमार पुत्र स्व. श्री मानकचन्द, श्री अरूण कुमार पुत्र स्व. श्री मानकचन्द अल्पव्यस्क द्वारा संरक्षिका श्रीमती निर्मला गोया माता स्वयं एवं श्री अनुज कुमार पुत्र स्व. श्री मानकचन्द अल्पव्यस्क द्वारा संरक्षिका श्रीमती निर्मला गोया माता स्वयं के मध्य निष्पादित रजिस्टर्ड विभाजन प्रलेख दिनांक 17.04.1976 द्वारा श्री प्रकाश चन्द पुत्र स्व. श्री नेमीचन्द को उक्त भूखण्डों में से 14818 वर्ग फुट भाग प्राप्त हुआ। श्री प्रकाश चन्द गोधा ने वसीयत में प्राप्त उक्त भाग में से 2850 वर्ग फुट भाग जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.08.2005 से श्री वी.एस. थोमस पुत्र श्री वजायिल टूथन स्कारिया को विक्रय कर दिया। श्री वी.एस. थोमस में उक्त क्रय शुदा भाग जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.05.2006 से श्री राजेश सिवाल पुत्र श्री गणेशी लाल सिवाल को विक्रय कर दिया। श्री राजेश सिवाल ने उक्त क्रय शुदा भाग जर्ये रजिस्टर्ड 28.03.2022 से श्रीमती स्वीटी जैन पत्नी श्री विनीत जैन को विक्रय कर दिया। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम, कोटा उत्तर में उक्त मूल भूखण्ड़ों में से आवेदित भाग क्षेत्रफल 2850 वर्ग फुट के स्वामित्व नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त आवेदित भाग का नाम हस्तांतरण किये जाने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी जो उक्त भूखण्ड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त, नगर निगम, कोटा उत्तर कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी। **उपायुक्त नगर निगम कोटा उत्तर**

कार्यालय नगर निगम, कोटा उत्तर (राज.)

क्रमांक:-ननिकोउ/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2025/14195 दिनांक: 7.10.25

नाम हस्तान्तरण बाबत् सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि श्री विनीत जैन पुत्र श्री विजय कुमार जैन निवासी जैन निवास, जैन धर्मशाला के पास, भीमगंजमण्डी, कोटा जंक्शन, कोटा (राज.) के नगर निगम, कोटा उत्तर में आवेदन प्रस्तुत कर बाल मंदिर रोड, भीमगंजमण्डी, कोटा स्थित भूखण्ड क्षेत्रफल 2850 वर्ग फुट का स्वामित्व स्वयं के नाम हस्तांतरण किये जाने का निवेदन किया है। बजयरा कोटा जंक्श. कोटा स्थित भूखण्ड क्षे.फल 100x (200+199/2) एवं भूखण्ड क्षेत्रफल 150x (207+200/2) का आवंटन म्यूनिसिपल बोर्ड भीमगंज, कोटा द्वारा म्यूनिसिपल बोर्ड भीमगंज, कोटा द्वारा श्री नेमीचन्द पुत्र श्री सुवालाल को किया गया। श्री नेमीचन्द की मृत्यु उपरान्त श्री नेमीचन्द के विधिक वारिसान श्रीमती भंवरी बाई पत्नी स्व. श्री नेमीचन्द, श्री मानक चन्द पुत्र स्व. श्री नेमीचन्द, श्री पदम कुमार पुत्र स्व. श्री नेमीचन्द, श्री प्रकाश चन्द पुत्र स्व. श्री नेमीचन्द, श्रीमती निर्मला गोया पत्नी स्व. श्री मानकचन्द, श्री पवन कुमार पुत्र स्व. श्री मानकचन्द, श्री अतुल कुमार पुत्र स्व. श्री मानकचन्द, श्री अजय कुमार पुत्र स्व. श्री मानकचन्द, श्री अरूण कुमार पुत्र स्व. श्री मानकचन्द अल्पव्यस्क द्वारा संरक्षिका श्रीमती निर्मला गोया माता स्वयं एवं श्री अनुज कुमार पुत्र स्व. श्री मानकचन्द अल्पव्यस्क द्वारा संरक्षिका श्रीमती निर्मला गोया माता स्वयं के मध्य निष्पादित रजिस्टर्ड विभाजन प्रलेख दिनांक 17.04.1976 द्वारा श्री प्रकाश चन्द पुत्र स्व. श्री नेमीचन्द को उक्त भूखण्डों में से 14818 वर्ग फुट भाग प्राप्त हुआ। श्री प्रकाश चन्द गोधा ने वसीयत में प्राप्त उक्त भाग में से 2850 वर्ग फुट भाग जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.08.2005 से श्री राजेश सिवाल पुत्र श्री गणेशी लाल सिवाल को विक्रय कर दिया। श्री राजेश सिवाल ने उक्त क्रय शुदा भाग जर्ये रजिस्टर्ड 01.02.2022 से श्री विनीत जैन पुत्र श्री विजय कुमार जैन को विक्रय कर दिया। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम, कोटा उत्तर में उक्त मूल भूखण्ड़ों में से आवेदित भाग क्षेत्रफल 2850 वर्ग फुट के स्वामित्व नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त आवेदित भाग का नाम हस्तांतरण किये जाने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी जो उक्त भूखण्ड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त, नगर निगम, कोटा उत्तर कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा उत्तर

खोया पाया

कुसुम पुत्री चिरंजी लाल 1-A-10 नगर आयोजन स्कीम रामगंजमंडी जिला कोटा राजस्थान आवासन मंडल का कब्जा पत्र इन्वेंटरी डिक्लेरेशन अदेय प्रमाण पत्र गुम हो गए हैं किसी को मिलने पर सूचित करें।

खोया पाया

मेरे मकान संख्या 4-त-10 दादाबाड़ी के आवंटन पत्र, कब्जा पत्र, कब्जा इन्वेन्ट्री, अदेय प्रमाण पत्र, कार्यालय आदेश, कन्वेन्स डीड एवं परफ्यूचल डीड कही खो गए है मिलने पर सम्पर्क करें। **पियूष, 4-त-10 दादाबाड़ी**

कार्यालय नगर पालिका छबड़ा जिला बारां

क्रमांक:-न.पा.छ./2025/4858 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक:-6.10.25

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि स्ट्रीप ऑफ लैण्ड के अंतर्गत नगर पालिका कार्यालय में निम्न आवेदनकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकरण में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो आपत्ति प्रकाशन के अन्दर म्याद 03 दिवस में मय दस्तावेज प्रमाण पत्र के इस कार्यालय में लिखित रुप में प्रस्तुत कर दें। समयावधि गुजरने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र. सं.	नाम सम्पत्ति मालिक जिसके नाम दस्तावेज अनुसार सम्पत्ति है।	प्रकरण	पता सम्पत्ति जहां स्थित है।
1	2	3	4
1	श्री हरिप्रसाद आत्मज श्री किशनलाल गुप्ता जाति महाजन निवासी छबड़ा जिला बारां	स्ट्रीप ऑफ लैण्ड	इन्द्रा कॉलोनी में स्थित भूखंड सं. 134 (18x35=630 वर्गफीट) के उत्तर व पश्चिम दिशा में स्थित भूखंड साईज 10x38=380 वर्गफीट व 3x18=54 वर्गफीट कुल भूखंड क्षेत्रफल 434 वर्गफीट

नोट:- उपरोक्त स्ट्रीप ऑफ लैण्ड के तहत भूमि आवंटन के संबंध में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह प्रकाशन तिथि के अन्दर म्याद 03 दिवस तक अपनी आपत्ति लिखित में न.पा. छबड़ा में प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित अवधि गुजरने के बाद कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी। सूचित रहे। **अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका छबड़ा**

भारतीय खेल प्राधिकरण
SPORTS AUTHORITY OF INDIA

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA
खेल विभाग/ DEPARTMENT OF SPORTS
(An Autonomous Body under Ministry of Youth Affairs and Sports)
(युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय)
(मानव संसाधन प्रभाग-II)
मुख्य कार्यालय, द्वार सं. 10
(पूर्वी द्वार), जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम
लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003

भारतीय खेल प्राधिकरण भर्ती-निदेशक पद

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तहत एक स्वायत संगठन, भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) अपने मुख्यालय नई दिल्ली एवं विभिन्न क्षेत्रीय इक